RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR

Project by Law Student

Under the guidance of

Chairperson ,
Justice N.K. Jain
(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)

With best Compliments
RSHRC

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

Under the guidance of
Hon'ble Mr. Justice
N.K. Jain.
(Former Chief justice of
Madras and Karnataka
High Court)
Chariperson, RSHRC

Prepared by:-Internship students of various law university and colleges.

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

- The State Government of Rajasthan issued a Notification on January 18, 1999 for the constitution of the State Commission having one full time Chairperson and 4 Members in accordance with the provisions of The Protection of Human Rights Act, 1993. The Commission was fully constituted by appointment of the Chairperson along with the Members and became functional from March 2000. The main mandate of the State Commission is to function as a watch dog for human rights in the State. Under the 1993 Act, human rights are defined in Section 2 (d) and are those justiciable rights which can be enforced in a court of law in India.

- The Rajasthan State Human Rights Commission is reconstituted on 6th July 2005. One of the leading State Commissions in the country. In a short span of about four years it has achieved many milestones in its mission for the protection and promotion of Human Rights.

ISSUES IN HUMAN RIGHTS

- RIGHTS PERSPECTIVE FOR GOOD GOVERNANCE
- CORRUPTION AS VIOLATOR OF HUMAN RIGHTS
- RIGHTS PERSPECTIVE AS CENTER STAGE TO DEVELOPMENT AGENDA

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

- The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-
- (a) inquire, suo motto or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf (or on a direction or order of any Court), into complaint of
  - (i) violation of human rights or abetment thereof; or
  - (ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant;
- (b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human rights pending before a court with the approval of such court

functions contd...

- (c) to visit, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any jail or other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection, for the study of the living conditions of the inmates thereof and make recommendations thereon to the Government;
- (d) review the safeguards provided by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation;
- (e) review the factors, including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial

NEED FOR HUMAN RIGHT COMMISSION

- To develop fully the human personality and the sense its dignity .
- To develop attitudes and behaviour to promote respect for the rights of others.
- To ensure genuine gender equality and equal opportunities for women in all spheres.
- To promote understanding and tolerance among diverse national, ethnic, religious, linguistic and other groups.
- To strengthen respect for rights of a human being and fundamental freedom.
- To empower people to participate actively in the life of a free society.
- To promote democracy, development, social justice and communal harmony among citizens.

About Justice N.K. Jain

- **Born on 20.10.1942 at Alwar S/o Late Justice J.P. Jain. He pursued his LLB from Jodhpur University, Rajasthan.**
- **An accomplished sportsman during school and college days and recipient of best sportsman award from Rajasthan University.**
- **Justice Jain has been the State Badminton Champion and has represented the State at Nationals and International levels for 14 years 1955-1968, and in 1977.**

Cont.

- **He has been the former Chief Justice of Madras and Karnataka High Court for 5 years . Before taking charge as Hon’ble Chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission on 16th July 2005, he had been discharged his duties as Lokayukta & Chairperson of Himachal Pradesh Human Rights Commission in Shimla.**
- **He has been the member of bar council of Rajasthan for 19 years, till elevated.**
- **He has also been the member of Bar Council India and Bar Council Trust, NLS Bangalore.**
- **Justice Jain has created a lot of awareness about Human Rights with great proficiency and tireless efforts.**
- **Regarding awareness of human rights and many other legal issues, Justice Jain has written many booklets in Hindi as well as English. Some of these booklets are also available on Commission’s Website-www.rshrc.nic.in, a German Website herenow4u.de. Some books are also available on his own website: justicenasgendrakjain.com**
- **Simultaneously, Justice Jain is also creating awareness of the duties mentioned in Article 51-A and made a Performa of these duties in simple language. About 100 educational institutions are taking pledge of these duties at the time of morning prayer. Many N.G.Os are also trying their best for the same awareness, with the inspiration from Justice Jain.**
- **He had also been Member with two Chief Justice in the Committee constituted by Chief Justice of India to examine the recommendations of Arrears Committee Report 1989-1990 (Justice Malimath Committee Report) and First National Judicial Pay Commission (Justice K. Jagannath Shetty Commission) Report.**
- **He was Chairman of Advisory Board and then Presiding Officer of the Tribunal Under the Criminal Law Amendment Act from 03-03-1998 to 08-01-1999.**
- **Executive Chairman of Tamilnadu State Legal Service Authority and patron-in-chief and also of Karnataka State Legal Authority.**
- **Attendent Chief Justice Conference of chief justice of different countries at colombo.**

Hon’ble Chairperson and Members Of Rajasthan State Human Rights Commission are :

From 06-07-2005

Justice N K Jain, Chairperson

Members

Justice Jagat Singh

Shri D.S.Meena

Shri Pukhraj Seervi

Hon’ble Chief *Minister Shri Ashok Gehlot*

Legal Litracy and Awareness Programme

- For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 70000 in numbers.
- Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de.
- The books are:

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain(Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues

BOOKS PUBLISHED

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न हैः—

1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। *(पुनः प्रकाशित)*
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद–21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार– संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। *(पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)*
13. दलितों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) *(पुनः प्रकाशित)*
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ *(पुनः प्रकाशित–2008)*
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

Fundamental Duties Art 51-A

- The Commission under the guidance of the Hon'ble Chairperson is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution.
- Justice N.K Jain has made the Performa of these duties and distributed. So many institutions have reprinted and distributed in public to create awareness as many people are not aware of their duties.
- He is motivating students of various schools, colleges and other institutions. Students of these institutions are reciting the oath of article 51(A) of Constitution of India under the guidance of R.S.H.R.C.

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : **Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur**
Phone : 0141-2751417, 2751352

Reciting the Pledge - Fundamental duties mentioned in Article 51 - A, Constitution of India
"We are proud to be an Indian"
It shall be the duty of every citizen of India :
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals. which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.
for legal awareness and in public interest published by -
RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
sos building secretariat jaipur. www.rshrc.nic.in / www.herenow4u.de

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

- In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-

STUDENTS OF BIYANI GIRLS' COLLEGE, JAIPUR TAKING OATH OF SECTION 51(A) OF CONSTITUTION OF INDIA UNDER THE GUIDELINES OF RSHRC.

Students of some institutions reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

Students reciting the pledge.

Rajasthan State Human Rights Commission

“BEWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION”

Chairperson : Justice N.K. Jain

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION JAIPUR

Elderly People And Human Rights

With kind inspiration from Hon’ble Mr. Justice Nagendra Kumar Jain.
(Former Chief justice of Madras and Karnataka High Court)
Chairperson - R.S.H.R.C

-: By :-

Saurabh Saini

B.A. L.L.B. (Hons.) 1st year

Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala

E-Mail Id- saurabh199108@gmail.com

INTRODUCTION

Old age….

Old age consists of ages nearing or surpassing the average life span of human beings, and thus the end of the human life cycle. Various terms for old people include *seniors*, *Senior Citizens*, or *the elderly*.

Besides an increased level of illness, the aging process itself leads to certain disabilities such as low vision and blindness resulting from cataracts, deafness resulting from nerve impairment, loss of mobility from arthritis and a general inability to care for oneself. Furthermore, aging is inevitable and thus of concern to each of us. We present here the beginnings of an ever-growing database of information that would be of use to our elder citizens and also for the persons who care for them.

Condition of Old people in India

Today Indian elderly population is the second largest in the world. One out of every ten senior citizen of the word lives in India. There are 81million older people in India. According to an estimate nearly 40% of senior citizens living with their families are reportedly facing abuse of one kind or another, but only 1 in 6 cases actually comes to light.

Rising population of the elderly in India, a non existent social security system, inflation, poor healthcare, and an acute sense of alienation from mainstream only are some of the key issues the older persons in India face today. Currencies devalue, uprising cost of living and scanty return on savings have almost pushed Senior citizens on roads, infact this situation has triggered the security net of the senior citizens, which has almost vanished in many states in India with Kerala topping the list. Kerala has about 30 lakh people over the age of 60, the largest geriatric percentage in the country, and this figure is expected to go up to 80 lakh over the next 15 years.

KEY AREAS IN WHICH OLDER PEOPLE MAY FACE DIFFICULTIES

Older people may face difficulties in particular areas: -

- ✓Physical and mental health;
- ✓ Community care;
- ✓ Social care;
- ✓ housing;
- ✓ Transport;
- ✓ Employment;
- ✓ Income;
- ✓ Education and leisure;
- ✓ Utilities and consumer protection;
- ✓ Access to information; and
- ✓Decision making.

Old People And Human Rights

Why Old People Need Human Rights?
Older people have to face a range of barriers that prevent their full participation in various aspects of life, while some older people receive excellent care, there are
concerns about poor treatment, neglect, abuse, and discrimination of older people. They need their rights so the can fight against :-

- ✓Abuse,
- ✓Neglect or carelessness,
- ✓Age discrimination,
- ✓Lack of privacy and dignity,
- ✓Etc…

Some of the rights which every old person deserves…

- ✓ **The right to be treated with dignity.**
- ✓ **The right to equality in health care treatment.**
- ✓ **The right to appoint an independent advocate to help and support the older person.**
- ✓ **The right to be protected from all forms of physical, emotional, or mental violence.**
- ✓ **The right to receive good quality home care and support services.**
- ✓ **The right to a dignified death.**

✓ **The right of carers not to take on a caring role, or to choose a certain level of caring. This applies to many family members, often elderly themselves**, whose role as care is taken for granted by society. Carers should also have the right to choose appropriate respite on a regular basis.

✓ **Every senior citizen has the right to participate and play a constructive role in society and in the future of country.**

✓ **The right to prompt access to appropriate legal assistance.** This includes the right for everybody to claim his or her human rights if these are violated, irrespective of the person's financial situation.

✓ **The right to access to the law, and to legal representation through an independent advocate, in all proceedings affecting the older person, whether administrative or judicial, in the public and the private sphere.**

- ✓ **The right to access free or affordable public transport services,** the Government should ensure that public transport is free for all people of pensionable age, and this includes women aged 60+.

- ✓ **The right of access to safe and affordable housing.**

- ✓ **The right to a safe, healthy and sustainable environment.**

- ✓ The Government should **prohibit ageism in the employment** sphere, and it should be prohibited to target older employees when companies reduce their work force.

- ✓ The Government should encourage **flexible retirement patterns** and not insist on the present fixed retirement age. Pension schemes also need to be made more flexible and sustainable.

What is to be done..?

- The need of the hour is to implement the rights guaranteed by the Constitution. Also the mindset of the people needs change.
- People should behave in the same manner as they expect from others as they are going to be old one day.
- People should take pledge to abide by the duties . Only when each and every citizen discharges his/her duties properly, others rights will be protected.

What has been done so far…

Various initiatives has been already taken by governments and by various NGOs. But these rules and regulations and policies should be implemented strictly to achieve the objective and give a happy farewell to our elderly.

Steps taken by Governments

✓ **National Policy for older persons (NPOP)**

It was announced in 1999 by the Ministry of Social Justice & Empowerment. The objectives are to encourage individuals to make provisions for their own as well as their spouse's old age, to encourage families to take care of the older family members, to enable and support voluntary organizations and NGOs to supplement the care provided by the family, to provide care and protection to the vulnerable group, to provide health care facility to elderly and to promote research and training facilities to the care givers, to create awareness amongst elderly persons to develop themselves in to fully independent citizen etc.

✓ **National Old age Pension Scheme (NOAP)**

It was introduced by the Indian government in the year 1995 providing a sum of Rs. 75 per month but in year 2000 it was enhanced to Rs. 200 per month to the old and destitute people and now it has been increased to at least Rs. 400 per month. This scheme has also been adopted by state of RAJASTHAN from 1st August 2008 and it is expected that the rules will be imposed properly and strictly.

Continued….

✓**National Council for Older Persons (NCOP)**

A National Council for Older Persons (NCOP) was constituted by the Ministry of Social Justice and Empowerment to operationalize the National Policy on older persons.

✓**In the budget of 2008, the government declared :-**

- For senior women citizens, the income tax limit increases from Rs. 1.95 lakh to Rs. 2.25 lakh.
- A national programme for the elderly to be started at a cost of Rs. 400 crore.

Continued….

Steps taken by governments continued…

✓The **Constitution of India**, in **Article 41** of the Directive Principles of State Policy specifies that the state shall within the limits of its economic policy provide for assistance to the elderly.

✓**The Hindu Adoptions and Maintenance Act** say an aged parent can demand maintenance from children in the same way that a wife can demand it from her husband.

✓**The Parents Maintenance Act** says that parents cannot be evicted from a house without due process of law if they have been staying there from before. There is three enactments that can be applied.

✓Under **section 125 of the Cr.P.C**, a magistrate can order a child to maintain his old parents under the Maintenance of Parents Act.

✓The **Domestic Violence Act** too provides parents with the right to seek relief from any kind of abuse.

Work done by NGOs

Some of the non-governmental organizations are conducting various programs in different parts of country, which are providing help to some extent to people. Some of the programs are as follows : -

Programs of Helpage India : -

Mobile Medicare Unit

For many older people in slums and rural areas, quality health care is both unaffordable and inaccessible. Launched in 1982, HelpAge's Mobile Medicare Unit (MMU) tackles this very problem.

Establishment of **Self Help Groups**

HelpAge helps people of rural areas to establish self help groups so that they should not depend on others for their necessities.

Sponsor a grandparent

HelpAge India links old people with sponsors who provide for their basic financial & medical needs. HelpAge encourages people to adopt "Grandparents". Nearly 15,000 people have been adopted under this project.

Old age homes and Day care units

For many older people who don't have a roof over their heads or a place to call their own, HelpAge-supported old age homes & day care centres are safe havens where they can live their lives with dignity and interact with their peers.

Helplines

Helplines are used to address problems of elders, facilitate emergency responses, provide information on access to various elderly schemes and provides linkages with the government, police and referral rescue & relief services along with offering counseling services to help elderly in distress. Some Helplines have tied up with local shelters to provide much needed assistance to elders in need of care and protection.

Advocacy

HelpAge India advocate with national & local government to bring about policy that is beneficial to the elderly. It helps the elderly be aware of their rights and provide access to them.

Positive Role of Media in awareness programme And Some

PAPER CUTTINGS

मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रहो

ध्यानाकर्षण

वेद व्यास

राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए।

हजारों साल के इतिहास में मनुष्य और प्रकृति की सर्वोच्चता का जयघोष पढ़ने, सुनने के बाद आज 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच यदि कोई संकट में है, तो वह मनुष्य और प्रकृति ही है। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणापत्र को पढ़कर चकित और हैरान हैं, क्योंकि मनुष्य समाज को खुद अब यह पता नहीं है कि उसका भविष्य क्या है? एक तरफ विज्ञान ने मनुष्य का यंत्रीकरण कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी विकास ने समाज का बाजारीकरण कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही, जहाँ 9-10 प्रतिशत विकास दर की शेखी बघारी जा रही है, वहाँ आज 77 प्रतिशत आबादी केवल 20 रुपये रोज पर जीने को लाचार है। कानून का शासन और मानवाधिकार की सारी बातें हवाई हैं, क्योंकि आज भी समाज में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का संविधान ही लागू है। इस तरह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय और समानता के सभी सिद्धांत ऐसे लग रहे हैं, जैसे कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग-अलग होते हैं।

मानवाधिकारों की मशाल को लेकर भूखे-नंगे आदिवासी-वनवासी तो अब नक्सलवादी बन गए हैं, तो दलित जातियां अम्बेडकरवादी हो गई हैं। कोई उग्रवादी, तो कोई पृथकतावादी हो गया है। ऐसे में आतंकवाद की सारी अवधारणाएं जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता की कोख से ही जन्म ले रही हैं। पूरे मनुष्य समाज में और प्रकृति की संरचना में इस तरह का जलवायु परिवर्तन आ रहा है कि- अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कर्तव्यों की इतिश्री भी हो रही है। हिंसा और प्रतिहिंसा के इस कठिन समय में मानवाधिकारों की बातें अब केवल अदालती फैसलों तक सीमित हो गई हैं। हमें लगता है कि वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार एक भ्रम है और असमानता एक यथार्थ है।

मानवाधिकार के जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए राज्य व्यवस्था के अपने संविधान और कानून हैं, तो अन्याय और शोषण के हथियार चलाने वाले समाज के अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र हैं। आज साम्राज्यवादी और धर्मभीरु धनी देशों से कोई यह नहीं पूछता कि- वियतनाम पर परमाणु बम गिराने का अधिकार उसे किसने दिया था और फिलस्तीनों को उनकी मातृभूमि से बेदखल किसने किया था और अफगानिस्तान, ईराक और पाकिस्तान को तबाह क्यों किया जा रहा है और खाड़ी के अरब देशों में तथा दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप की रणनीति कौन थोप रहा है? आज पूरी दुनिया के छोटे-बड़े देश इसीलिए गुलामी के द्वीप समूह बनते जा रहे हैं कि पूंजी + सैनिक + विज्ञान से लैस कुछ अमीर देश ही गरीब देशों की स्वायत्तता और संप्रभुता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब राष्ट्र और राज्यों के अधिकार ही लूटे जा रहे हैं, तब भला मनुष्य के अधिकारों की चर्चा यहाँ कौन करेगा? आज भारत में भी मानवाधिकारों को लेकर कोई गंभीर चिन्ता किसी शासन और प्रशासन में इसलिए ही नहीं है कि राज्य व्यवस्था का चेहरा, चाल और चरित्र ही समता और न्याय विरोधी है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ही मानवाधिकार की अदालत में सबसे बड़ी अपराधी हैं तथा पुलिस और प्रशासन कहीं भी संवेदनशील, पारदर्शी तथा जवाबदेह नहीं है। आजादी के बाद 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से लेकर 2002 में हुए गुजरात के अल्पसंख्यक विरोधी हिंसक उपद्रव भी इस बात के ही गवाह हैं कि मानवाधिकार के प्रति, राज्य व्यवस्था की पोषित राजनीति में कोई जगह नहीं है। 1984 के दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगे और 25 साल पहले भोपाल की गैस त्रासदी में हजारों बेगुनाहों की मौतें और सांप्रदायिक हिंसा से लथपथ हमारा लोकतंत्र आज तक इस बात पर चुप है कि मानवाधिकारों से इन सभी बेकसूर मरने वालों का भी कोई रिश्ता-नाता था।

इस तरह भारत में मानवाधिकारों की दास्तान इसलिए भी दर्द भरी है कि यहाँ संविधान से लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे सभी संस्थान तो बने हुए हैं, लेकिन असलियत में यह सभी आयोग निहत्थे और प्रभावहीन हैं, क्योंकि यहाँ सरकारी संस्थाएं ही सबसे अधिक संगठित मानवाधिकार विरोधी समूह के रूप में सक्रिय हैं। आपको शायद याद होगा कि राजस्थान में भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993-94 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मार्च, 2000 में गठन हुआ था। कहने को यह आयोग भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है, लेकिन इसकी अभी नियुक्तियां, बजट और दिशा-निर्देशों की अनुपालना राज्य सरकार ही करती है। वर्तमान में अलवर निवासी और मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नगेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष हैं। यह आयोग हर साल अपने कार्यकलापों का प्रतिवेदन भी सरकार और विधानसभा को सौंपता है। अब आप ही बताइए कि क्या आपने कभी इस राज्य मानवाधिकार आयोग की आपबीती कहानी सुनी है, और क्या आप इसी तरह राज्य अल्पसंख्यक आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग अथवा किसी अन्य आयोग की करी-कराई से परिचित हैं? इस स्थिति का सीधा-सा कारण बस यही है कि राज्य व्यवस्था जग दिखाई के लिए, संस्था-दर-संस्था तो बनाती है, लेकिन उसका संरक्षण वह खुद कभी नहीं करती।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन इस संवेदनहीन वातावरण में समाजोन्मुख होकर जो मानवाधिकारों का जन शिक्षण अभियान चला रहे हैं, हम उसकी तारीफ में आज यही कुछ कहना चाहते हैं कि मानवाधिकार के प्रश्नों को आम जनता और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रचारित-प्रसारित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए। इसी अभियान के तहत न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन ने अब तक कोई 32 लघु पुस्तिकाएं जन सहयोग से छपवाकर अधिकतर स्कूल-कॉलेजों में वितरित करवा दी है तथा आयोग से एक त्रैमासिक बुलेटिन भी जारी कर रखा है।

अभी हाल में न्यायमूर्ति जैन द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक - 'मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार' को पढ़कर मुझे यह कहना पड़ता है कि पूरे देश के किसी राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस तरह जन शिक्षक की भूमिका अभी तक नहीं निभाई है। भले ही वर्तमान में इस मानवाधिकार आयोग की रचनात्मक सामाजिक कार्यकर्ता की कार्यशैली को शासन व्यवस्था न समझे, लेकिन मानवाधिकार को लेकर साहित्य का प्रकाशन राजस्थान के लिए एक ऐसा उल्लेखनीय प्रयास है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को मानवाधिकारों के लिए जरूर प्रेरित करता रहेगा।

हम जानते हैं कि मानवाधिकार के लिए जारी जन संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी सभ्य समाज के निर्माण में मानवाधिकारों का सम्मान होना अनिवार्य है। राजस्थान में अरुणा राय का सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान भी इसी तरह जनता के बुनियादी अधिकारों को मजबूत करने का ही अभियान है। हमारा यह पूंजीवादी लोकतंत्र आज इसीलिए मानवाधिकारों की अनदेखी करता है, क्योंकि जनता के अधिकारों को मजबूत करने से न्याय, समता और अहिंसा का पक्ष मजबूत बनता है, जबकि, राज्य व्यवस्था प्रायः हिंसा और दमन से चलती है।

राजस्थान क्योंकि आज भी एक सामंतवादी और जातिवादी समाज है- इसीलिए यहाँ सत्ता और व्यवस्था का चरित्र भी शोषण और असमानता पर ही आधारित है तथा सारा खेल ताकत पर आधारित है। पूरी लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली ही यहाँ इस बात की गवाह है कि पुलिस केवल राजनीतिक सत्ता से डरती है तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रदेश में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता आज इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं ही सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक उत्पीड़न का शिकार हैं तथा जनशिक्षण का उनमें अभाव है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसीलिए जनता के लिए और जनता के बीच और जनता के द्वारा मानवाधिकार तथा कर्तव्यों को- शिक्षण के विकल्प के रूप में चलाया है और राज्य व्यवस्था को याद दिलाया है कि लोकतंत्र की नींव के पत्थर हमारे मानवाधिकार ही हैं।

रौनक टाइम्स, दैनिक

E-Mail : nirmalrounaktimes@gmail.co

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए सतत प्रयासरत है। आयोग ने राज्य की आमजनता के साथ-साथ लोकसेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने बताया कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि लोकसेवकों से केवल अपना कार्य निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर शिकायतों का निस्तारण करता है और समय-समय पर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जाता है।

जैन ने बताया कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद-51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से छेड़ी गई मुहिम का अनुसरण करते हुए कई स्कूलों में अनुच्छेद-51 में निहित भावों की पालना करने का संकल्प प्रार्थना के समय प्रतिदिन दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस मुहिम से जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 62 संस्थाओं ने अनुच्छेद-51 के प्रारूप के 20 हजार से ज्यादा केलेण्डर और करीब 80 हजार पैम्पलेट्स छपवाकर राज्यभर में कार्यक्रमों के दौरान बंटवाएं हैं। इस प्रचार-प्रसार से लोगों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।

उन्होंने बताया कि हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग की ओर से विविध कानूनी विषयों पर लेख और बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों एवं अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों की याद में पुनः प्रकाशित करवाया है।

श्री जैन ने बताया कि महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी एड्स, मानवाधिकार, संबंधी करीब 70 हजार पुस्तकें आमजन में वितरित की गई हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और शोषण से बच सकें। आयोग की ओर से एक त्रैमासिक न्यूजलैटर भी प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आयोग की गतिविधियों सहित सभी नवीन जानकारियां शामिल की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एक से तीस तक के सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिया गया था। इस घोषणा पत्र के आधार पर मानवाधिकारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। हर प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन तीन दशक बाद भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग इसी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

अनुच्छेद-51 के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। एकता व अखंडता कायम रखने के लिए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करें। स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं सेवा के लिए तत्पर रहें। धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग विभेद के नाम एक-दूसरे के विरोधी नहीं बनें।

पेंशनरों को मानवाधिकार आयोग का सहारा

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 10 अगस्त। राज्य मानवाधिकार आयोग ने चिकित्सा सुविधाओं के मामले में पेंशनरों एवं राजकीय कर्मचारियों में भेदभाव नहीं करने को कहा है। साथ ही उन्हें वरिष्ठ नागरिकों (पेंशनर) को बिना परेशानी दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

अब आसानी से मिल सकेंगी दवाइयां

पेंशनरों की शिकायत थी कि सहकारी दुकानों से दवाइयां उपलब्ध नहीं होने पर अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही। इससे पेंशनरों को उनके लिए अधिकृत दुकान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आयोग ने पेंशनरों को इससे निजात दिलाते हुए कहा कि इन दुकानों पर दवाइयां नहीं है तो वे अन्य दुकानों से दवाइयां खरीद सकते है, जिनका नियमानुसार पुनर्भुगतान ले सकते हैं।

नागरिकों को बिना परेशानी दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दवाइयों सहित पर्याप्त दुकानों की व्यवस्था की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि नियमों की अवहेलना हुई तो पेंशनर उपयुक्त मंच या प्राधिकरण को शिकायत पहुंचा सकते है। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन.के. जैन एवं सदस्य डी.एस. मीणा की पीठ ने पेंशनरों से सम्बन्धित पांच मामलों को निस्तारित करते हुए यह सिफारिश की। ये मामले वर्ष 2001 से 2003 की अवधि में आयोग में दर्ज हुए। आयोग ने इन मामलों में कहा कि राज्य सरकार को आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर नियमों में संशोधन करने का अधिकार है और वह इसमें सक्षम है, इसलिए आयोग न तो इसकी मेरिट में जा सकता और न ही कोई दिशानिर्देश दे सकता। आयोग ने कहा कि संशोधन तक पेंशनरों को अधिकृत सहकारी दुकानों से दवाइयां लेने का अधिकार है।

वरिष्ठ नागरिकों को नहीं हो समस्या

मेट्रो संवाददाता

जयपुर, 14 अक्टूबर। वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हैल्पेज इंडिया संस्था की ओर से एमआई रोड स्थित एक होटल में आयोजित सेमिनार में प्रमुख शासन सचिव मालविका पंवार ने ये बात कही।

हैल्पेज इंडिया संस्था की ओर से आयोजित सेमिनार में उपस्थित अतिथि।

सेमिनार में एनजीओ के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में अपनी समस्याओं के बारे में बताया। तकनीकी सत्रों में वरिष्ठ नागरिकों को लेकर सरकार की दोहरी नीतियों पर चिंता व्यक्त की गई। हैल्पेज इंडिया के एच.एस.बख्शी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के बारे में केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य सरकार भी सम्मान रूप से लागू करेगी तो उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

राजस्थान पत्रिका
जयपुर, सोमवार, 15 जून 2009

बच्चों के बाद बुजुर्ग भी ओझल

दस माह में भी नहीं बने नियम

बुजुर्गों पर उत्पीड़न: विश्व जन चेतना दिवस आज

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 14 जून। राज्य में बच्चों और महिलाओं से जुड़े कानूनों का जो हश्र हुआ, ठीक उसी तरह बुजुर्गों के लिए बना कानून भी सरकारी नजरों से ओझल है।

मामला चाहे बाल विवाह रोकने का हो या बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग गठन का या फिर महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण का, तीनों ही केन्द्रीय कानूनों के तहत नियम बनाने व उनको लागू करने में राज्य ने सुस्ती दिखाई। ठीक ऐसा ही माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के साथ हो रहा है, यह विधेयक आने पर ज्ञानप्रकाश पिलानिया बुजुर्गों को उत्पीड़न से बचाने के लिए ऐसे कानून की बड़ी आवश्यकता जताते हुए राज्यसभा में रो पड़े थे। राज्य में यह कानून पिछले साल अगस्त में लागू हो गया, लेकिन इसके लिए नियम अब तक नहीं बने है।

एक भी मामला नहीं आया

पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से इस कानून की पालना की स्थिति की जानकारी ली, तो पोल खुली कि अब तक प्रदेश में इस कानून के तहत एक भी मामला नहीं आया है।

समय पर लागू नहीं हुए कानून

- नया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम समय पर लागू नहीं होने से कार्रवाई प्रभावित रही
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन को राज्य में तीन साल बाद मंजूरी मिली
- महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए अधिकारी उच्च न्यायालय के दखल के बाद नियुक्त हुए

"माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत नियम बन रहे हैं, लेकिन नियमों के अभाव में पालना में कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया के जरिए कानून का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन मा-बाप में बेटे के खिलाफ कार्रवाई की प्रवृति नहीं होने के कारण मामले नहीं आ रहे है।

– आर. वैंकटेश्वरण, आयुक्त एवं सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग

75 साल के बुजुर्ग ने की आत्महत्या की गुहार

आयोग व विधिक सेवा उप-समिति ने दिए जांच के आदेश

नगर संवाददाता. जयपुर

झोटवाड़ा की श्यामपुरी निवासी 75 साल के बुजुर्ग बद्रीप्रसाद शर्मा ने अपनी बेटी व दामाद के जुल्मों से तंग आकर राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल व राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर उनसे आत्महत्या करने की इजाजत देने की गुहार की है। पत्र में शर्मा ने लिखा है कि आत्म हत्या करना कानूनी रूप से गलत है, इसलिए वह आत्महत्या करने के लिए इजाजत मांग रहे हैं।

■ बद्रीप्रसाद शर्मा।

बद्रीप्रसाद के पत्र पर राजस्थान हाईकोर्ट की विधिक सेवा उप-समिति ने जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले में बिना कोई देरी किए ही जांच के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त करे और आवश्यक कार्रवाई करे। यह भी निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई के बाद जांच रिपोर्ट पेश करें। पत्र में बद्रीप्रसाद ने अपनी बेटी-दामाद व नाती द्वारा उसके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने पत्र पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) सी.बी.शर्मा को निर्देश दिए हैं कि वह मामले की जांच कर 20 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट पेश करे। आयोग में मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को रखी है। दूसरी तरफ बद्रीप्रसाद ने संवाददाता को बताया कि 2008 में उसकी बेटी प्रेमलता ने एसडीएम सांगानेर के यहां पर श्रीरामपुरा पंचायत लाखना स्थित जमीन पर कब्जे के लिए पांच वाद दायर किए और जमीन में हिस्सा मांगा। हिस्सा नहीं देने पर दामाद ने थाना कोलवा में मेरे दोनों बेटों के खिलाफ फोन पर धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जबकि वे उस दिन जयपुर में थे ही नहीं। इतना ही नहीं मेरी बेटी ने अपने बड़े बेटे राकेश को मेरा दत्तक पुत्र बना दिया, जबकि मैंने कभी भी उसे अपना दत्तक पुत्र नहीं घोषित किया था। बाद में पुत्री-दामाद ने मेरी पत्नी राधा को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आमेर स्थित मेरी पत्नी की 10.5 बीघा जमीन को भी मेरी बेटी ने फर्जी तरीके से आमेर के तहसीलदार के साथ मिलकर उसका नामांतरण अपने नाम खुलवा लिया। पत्नी का 5 नवंबर 08 को निधन हो गया।

सुसंस्कारों से रुकेगा बुजुर्ग उत्पीड़न-सैनी

वृद्धों को भी दी नसीहत ■ बुजुर्गों पर उत्पीड़न : विश्व जन चेतना दिवस

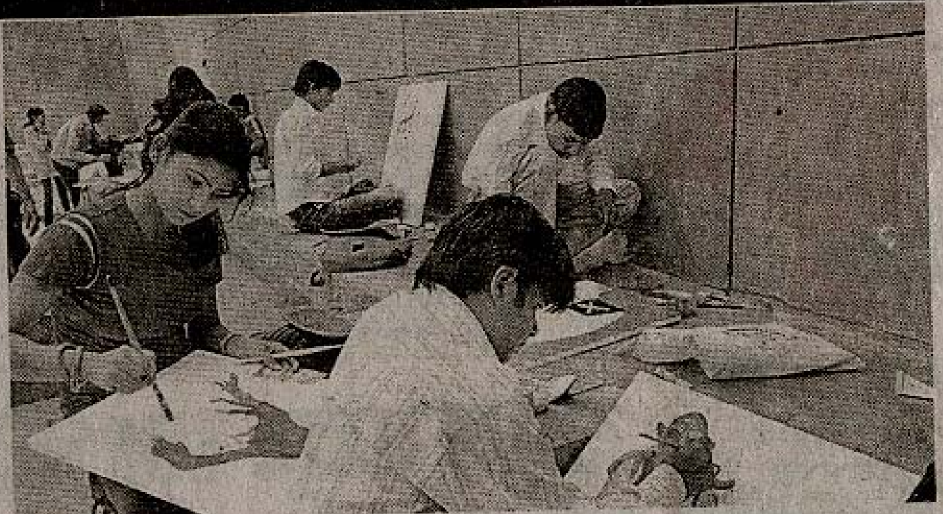

ुबोध महाविद्यालय के सभागार में बुजुर्गों पर उत्पीडन समाप्त करने को लेकर आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित करते न्याय व अधिकारिता मंत्री रामकिशोर मीणा एवं जवाहर कला केन्द्र में पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेते प्रतिभागी।

जयपुर, 15 जून (कासं)। बच्चों को घर में अच्छे संस्कार मिलेंगे तो ी वे बुजुर्गों की इज्जत करना सीखेंगे और बुजुर्गों का उत्पीड़न रुकेगा। ामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामकिशोर सैनी ने सोमवार को बुजुर्गों पर त्पीड़न के विश्व जनचेतना दिवस परआयोजितसेमीनार में यह बात कही। ेमिनार का आयोजन इण्डियन जेरोन्टोलोजिकल एसोसियेशन की ओर से ुबोध महाविद्यालय के सभागार में किया गया था।

सैनी ने कहा कि घर का वातावरण बच्चे के व्यवहार को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसलिए बुजुर्गों पर उत्पीड़न रोकने के लिए घर के वातावरण को सुसंस्कारित बनाने की आवश्यकता है। सैनी ने बुजुर्गों को भी अपना व्यवहार सुधारने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को परिजनों के प्रति कोई पूर्वाग्रह या जरूरत से अधिक अपेक्षाएं पालने से बचना चाहिए। सैनी ने कहा कि 'कम्युनिकेशन गैप' बुढापे की सबसे बड़ी समस्या है और यह कई परेशानियां पैदा करता है। वृद्धावस्था की समस्याओं से बचने के लिए सैनी ने बुजुर्गों को संचय की प्रवृति विकसित करने की सलाह दी। इस दिशा में किए जा रहे सरकार के काम गिनाते हुए सैनी ने कहा कि वृद्धों की सहायता के लिए वृद्ध कल्याण बोर्ड का गठन किया जा रहा है। वृद्धजन हैल्पलाइन भी शीघ्र शुरू की जाएगी जिससे उत्पीड़न के शिकार बुजुर्गों को तुरंत सहायता मिल सकेगी। सैनी ने एसोसियेशन को इस तरह के कार्यक्रमों से युवावर्ग को जोड़ने की सलाह दी जिससे यह संदेश युवाओं तक पहुंच सके। सेमीनार का आयोजन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर दि केयर ऑफ एल्डरली के सहयोग से किया गया था।

सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन. के. जैन ने बुजुर्गों पर उत्पीड़न रोकने के लिए बच्चें में शुरू से ही मानवीय मूल्य विकसित करने पर जोर दिया। जैन ने कहा कि वर्तमान युग कम्प्यूटर युग है लेकिन कम्प्यूटर बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता। संस्कार तो घर के बड़ों से ही मिलते हैं। जैन ने बुजुर्ग उत्पीड़न व मानवाधिकार से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी दी और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर बल दिया। इससे पूर्व जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील ने बुजुर्ग उत्पीड़न रोकने के लिए नई व पुरानी पीढ़ी के बीच संवाद की दूरी को कम करने की बात कही। इण्डियन जेरोन्टोलोजिकल एसोसियेशन के सचिव डॉ. के. एल. शर्मा ने संगठन के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने ओल्ड एज होम खोलने वाले संगठनों के प्रशिक्षण व उनके समाज कल्याण विभाग में पंजीकरण की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। शर्मा ने कहा कि शहरी बुजुर्ग तो पढे लिखे होने के कारण परिस्थितियों को सम्भाल लेते हैं पर ग्रामीण बुजुर्गों की हालत दयनीय है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिशा में कार्य करना आवश्यक है। सेमीनार में लगभग दो सौ बुजुर्ग महिला पुरुषों ने भाग लिया जिनमें से कुछ ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सेमीनार के प्रारंभ में शहर के थिएटर कलाकारों ने नाटक के जरिए बुजुर्ग उत्पीड़न को दर्शाया। दिन में आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता राजेन्द्रप्रसाद सुथार, विनोदकुमार जांगिड़, नवलसिंह चौहान, अनिलकुमार महावर, रितेश शर्मा व जगदीशप्रसाद को पुरस्कृत किया गया।

वृद्धजनों एवं गरीबों के प्रति जागरूकता लाने में मीडिया की अहम भूमिका-जैन

जयपुर, 3 जनवरी (कासं)। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन ने कहा कि वृद्धजनों एवं गरीबों की उचित देखभाल, सम्मान और समय पर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसको सुनिश्चित करने में मीडिया प्रभावी भूमिका निभा सकता है। जैन रविवार को संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल स्थित अवेदना आश्रम के सभागार में सामाजिक सुरक्षा फाउण्डेशन की ओर से 'वृद्धजनों एवं बी.पी.एल. परिवारों को लाभांवित करने में मीडिया की भूमिका' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

उन्होंने संस्था द्वारा वृद्धजनों एवं बी.पी.एल. परिवारों की इस प्रकार जिम्मेदारी उठाने की सराहना की तथा राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा भी सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी एक्ट के अनुसार वृद्धजनों की आयु 65 वर्ष निर्धारित की है। उन्होंने दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाना तथा वृद्धजनों के प्रति जागरूक होने पर जोर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एम. रांका ने कहा कि वृद्धजनों को आयकर अधिनियम में पहले कोई प्रावधान नहीं था, परन्तु अब उन्हें सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा छूट प्रदान की गई है जिसे बढ़ाने के और भी प्रयास जारी हैं। वृद्धजनों एवं बी.पी.एल. व्यक्तियों को जिनेटिक एवं गंभीर बीमारियों से उपचार के लिए भी ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधा सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाएं। सामाजिक कार्यकर्ता केवल खन्ना ने संगोष्ठी में कहा कि पूरे देश में वृद्धजनों को समाज पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए। वृद्धजनों में ज्यादातर अनपढ़ हैं, जो कि सिर्फ अंगूठा लगाकर पेंशन प्राप्त करते हैं। इसके लिए ऐसे प्रबंध हों कि वृद्धावस्था एवं बी.पी.एल. व्यक्ति को उसकी पेंशन का भुगतान उपयुक्त व्यक्ति द्वारा समय पर हो तथा यह सुनिश्चित हो कि उसे पेंशन की पूरी राशि मिली है या नहीं यह सब व्यवस्था सिर्फ जागरूक नागरिक ही कर सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता के.एम. सहाय ने कहा कि संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। वृद्धजनों एवं बी.पी.एल. व्यक्तियों को उनकी पेंशन पंचायत भवन में सूची लगाकर ग्राम सेवक या समाज-कल्याण विभाग के कर्मचारी द्वारा धरातल स्तर पर देने की कार्रवाई होनी चाहिए। केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से यह पेंशन मिलने का प्रावधान है, इसके लिए राज्य स्तर पर निरन्तर पेंशन बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा फाउण्डेशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोकी दास खण्डेलवाल ने संगोष्ठी के प्रारम्भ में सभी का पुष्प भेंट कर स्वागत किया तथा नव वर्ष की बधाईयां दी।

वृद्धजनों की पेंशन वितरण व्यवस्था में मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया)की अहम भूमिका है। हमें मीडिया ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर अपने कर्तव्य बोध के प्रति प्रेरित कर सकता है। संगोष्ठी में शिल्पा माथुर ने सभी का ध्यान मीडिया की ओर आकर्षित कर कहा कि व्यक्तियों को भी मीडिया की नजर से भी देखना चाहिए कि मीडिया के पास स्पेस, मैनपावर की कमी है तथा उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। डॉ. उषा गोयल ने कहा कि मीडिया की कार्यवाही से समाज में खलबली मच जाती है। मीडिया किसी खबर को उजागर करती है तो सराहना भी करती है। सलीम इंजीनियर ने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलती है जिससे समाज के सभी वर्ग लाभांवित एवं जागरूक होते हैं। संगोष्ठी में पत्रकार आभा शर्मा, ए.के. ऋषि, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मानव अधिकारों की उपेक्षा का मतलब संविधान का तिरस्कार

आज हमारे देश में सबसे बड़ा संवैधानिक संकट मानव अधिकारों की उपेक्षा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51-ए में नागरिकों के कर्तव्यों के प्रति वचन दिये हुए है, फिर भी हम देश के प्रति जवाब देह नहीं बन पाए है। हमारे सामने दो मार्ग है। एक मार्ग है स्वतंत्रता का और दूसरा मार्ग है परतंत्रता का। यदि स्वतंत्रता का मार्ग अपनाते हैं तो हम हमारे देश के स्वामी है। यदि परतंत्रता का मार्ग अपना चाहते है तो सेवक या गुलाम है। गुलामी का जीवन भारत ने डेढ़ सौ-दो सौ वर्षों तक भुगत कर देख लिया है कि किस तरह हमारे साथ यातनापूर्ण व नृशंस व्यवहार हुआ है। काले-गोरे का भेदभाव चरम पर रहा है। अंग्रेज रेल के डिब्बे में बैंच पर बैठते थे और भारतीयों को पैरों में बैठाते थे या अपने कम्पार्टमेंट से नीचे उतार देते थे। इस तरह भुगती गई अस्पृश्यता ने हमारे मनोबल को तिरोहित कर दिया था और हम भगवान द्वारा दी गई प्राकृतिक उपलब्धियों (हवा, पानी, प्रकाश, वाणी, भूमि) से भी एक प्रकार से उपेक्षित रह रहे थे। यह कैसी विडम्बना थी कि आदमी-आदमी में ही भारी अन्तर पैदा कर दिया गया था। एक आदमी राजमहल में रहकर सूर्य के दर्शन करता था और दूसरा आदमी झोपड़ी में जीवन बसेरा कर के सूर्य धूप में स्नान करता था। एक आदमी मधुरस का पान करता था दूसरा आदमी शुद्ध जल भी नहीं पीता था। वस्तुत:भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में विविधता तो स्वाभाविक थी और उसी में एकता की मणीमाला हस्तव्य थी, किन्तु व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का हनन, व्यक्ति द्वारा मूक पशु-प्राणियों की हत्या, पुरुष द्वारा नारी को उत्पीडना देना, दुष्ट व्यक्तियों द्वारा बालकों का शोषण, पापात्माओं द्वारा अबलाओं का यौन शोषण, खाद्य पदार्थो एवं दवाओं तक में हानिप्रद द्रव्यों की मिलावट, अन्यायपूर्वक दूसरे की मुहं की रोटी छीन लेना मान्य व स्वीकार योग्य नहीं है।

- एम.एल. धौकरिया, जयपुर

An old person does not have the physical ability of a young person. Walking can be an effort. Crossing a road can be impossible without assistance. On many occasions I have come across old men and old women who just could not cross a busy road that had no pedestrian crossing. No driver stopped for them. So these old folks had to wait patiently until a kind soul happened along to lead them across. I have helped a number of them. Some of them were very grateful but some simply cursed the traffic. Whatever their attitudes, they were better off staying at home.

Help the Aged

THE TIME TO CARE IS NOW

अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वलम् ।।

....

"One who always serves and respects elderly is blessed with four things : Long Life, Wisdom, Fame and Power"

– मनुस्मृति, अध्याय 2: 121

AGED ARE NOT BURDEN

ONE SHULD ALWAYS KEEP IN MIND

THAT HE/SHE IS GOING TO BE OLD ONE DAY

WHAT YOU EXPECT FROM YOUR CHILDREN……

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur

Phone : 0141-2751417, 2751352

BIBLIOGRAPHY…

http://justicenagendrakjain.com

www.autherstream.com

NICE

www.nhrc.nic.in

www.unicef.co.in

www.rshrc.nic.in

- The students of different law university and colleges have prepared their respective projects during their internship under Rajasthan State Human Rights commission, Jaipur.
- They prepared their projects as per the material from different booklet of the commission and the martial obtain from different other sources/paper cuttings.
- We have compile, edited all the projects in one consolidated project.
- The same could be exhibited in School/Colleges/University and other places under legal literacy and awareness programme to the general public to know about human rights and duties, as per direction of the chairperson of the commission. However project on Cancer, Elderlay Person’s and Female Forticide and others are placed.

Anand Singh Rajpurohit, Pradeep Goyal, Jaipur

"The destiny of
human rights
is in the hands of all
our citizens in all our communities."
Eleanor Roosevelt

For Kind attention and Patient watching thanks on behalf of the commission
Secretary RSHRC Jaipur